सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग

(विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ट)

क्रमांक एफ 89(2)उ.मा.वि./सफाई/2016:–00080 जयपुर दिनांकः–हस्ताक्षरित दिनांक 20/02/2026

सीमित निविदा सूचना

इस विभाग में साफ–सफाई के कार्य हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित वार्षिक लागत राशि रूपये 95000/– संभावित है। संलग्न निर्धारित प्रारूप में दरें (With GST) अंकित कर दिनांक 26.02.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में बन्द लिफाफे में जमा करवा सकते है। प्राप्त निविदायें दिनांक 26.02.2026 को दोपहर 03.00 बजे खोली जायेगी।

(राकेश सोनी)
उप निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. लेखाधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
4. सहायक प्रोग्रामर, को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को ऑनलाईन पोर्टल व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करवाना सुनिश्चित करे।
5. कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.20 12:58:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20548222

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग

(विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ट)

सफाई निविदा अनुबन्ध की शर्तें

1 यह सफाई अनुबंध की अवधि कार्यादेश दिनांक से **01 वर्ष** के लिए किया जावेगा।

2 विभाग के अधीन सफाई योग्य सम्पूर्ण क्षेत्र – 2 हॉल, 13 कमरे, 6 शौचालय, गैलेरी, सीढीया एवं पार्किग, भवन की छत आदि की सफाई, धुलाई, पौछा, जाले साफ करना, आलमारी व खिडकियो एवं अधिकारियों के कक्षों में संधारित टेबल से डस्ट हटाने आदि का कार्य सम्मिलित है।

3 **निविदा शुल्क रूपये 200/–** (डी.डी. क्रमांक........................... दिनांक............................)

4 **बिड सिक्योरिटी :– 02 प्रतिशत** निविदा राशि का (डी.डी. क्रमांक................ दिनांक............)

5 सफल निविदादाता को अनुबन्ध के साथ **05 प्रतिशत प्रर्फोमेन्श सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी**, जिसके जमा जमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

6 अनुबंधित फर्म/ठेकेदार को सफाई कार्य अपने मैन पॉवर से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 7.00 बजे से 9.30 बजे तक पूर्ण करवाना होगा।

7 सफाई कार्य में जो सामान की आवश्यकता होगी, वह विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

8 शौचालयों की लाईन जाम होने पर तुरन्त खुलवाकर ठीक कर के चालू स्थिति में रखना होगा। कार्यालय समय मे आवश्यकता होने पर सफाई कार्मिक को तुरन्त उपस्थित होना होगा।

9 यदि किसी कार्य दिवस पर ठेकेदार के सफाई कर्मी उपलब्ध नही होते है तो विभाग द्वारा उक्त कार्य किसी संस्था या व्यक्तियों से करवाना पडे तो उसका समस्त व्यय ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

10 ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि कार्यालय सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने हेतु संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करेगा।

11 सफाई में इकट्ठा होने वाला कचरा ठेकेदार द्वारा डम्पिंग स्थान अर्थात कचरा पात्र में डालने का कार्य किया जावेगा।

12 ठेकेदार मासिक स्वीकृत राशि के आधार पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करेगा। बिल से नियमानुसार टीडीएस की कटोती की जावेगी।

13 ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये कामिकों की आयु 18 वर्ष से कम नही होगी।

14 सफाई कार्य के दौरान यदि कोई कार्मिक की दुर्घटना अथवा नुकसान होगा उसके लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा। समुह बीमा आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

15 ठेकेदार द्वारा सभी श्रम नियमों की पालना की जावेगी। इस संबंध में होने वाले किसी भी कमी या गलती के संबंध में कोई भी दण्ड होगा, तो ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।

16 सफाई कार्य पर लगाये जाने वाले कार्मिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार न्यूनतम वेतन का पूर्ण भुगतान करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

17 यदि सफाई कार्मिको को पीएफ/ई एस आई का भुगतान करना होगा तो ठेकेदार उक्त भुगतान स्वंय करेगा तथा जमा का प्रमाण पत्र कोई बकाया नही देना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.20 1?:59:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20547810

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ट)

18 किसी भी शर्त में संशोधन या निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्षकार (विभाग) को होगा। कार्य संतोषप्रद नही होने पर नोटिस देकर अनुबंध की सेवाऐं समाप्त की जा सकती है।

19 ठेकेदार को उनके सफाई कार्मिकों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं पहचान पत्र इस कार्यालय को देना होगा।

20 समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

21 शर्त या अग्रिम भुगतान की निविदा पर विचार नही होगा।

22 ठेकेदार व उसक सफाई कर्मी कार्यालय में शालीनता से व्यवहार करेगे। किसी प्रकार की शिकायत होगी तो गंभीरता से लिया जावेगा तथा ठेका निरस्त करने व आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

23 सफाई कर्मियों द्वारा कार्यालय को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा करनी होगी।

24 राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमों/उपनियमों परिपत्रों के अनुसार सफाई कर्मियों कोभुगतानकरने की जिम्मेवारीठेकेदार की स्वंय की होगी।इननियमों द्वाराकार्मिकोंको मिलने वाली सभी सुविधाऐं व भुगतान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से होने वाली किसी भी कार्यवाही या शास्ती के लिए कार्यालय नही, स्वंय ठेकेदार जिम्मेवार होगा।।

25 ठेकेदार कार्य को किसी अन्य को सबलेट नही करेगा।

उप निदेशक (उ.मा.)

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation: Deputy Director
Date: 2026.02.20 12:59:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20547810

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ट)

निविदा प्रपत्र

श्रीमान उप निदेशक,

उपभोक्ता मामले विभाग,

राज. जयपुर।

विषय :—सफाई कार्य हेतु कोटेशन दरें प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

हमारी फर्म की सफाई कार्य हेतु दरें एवं वांछित सूचनाऐं निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

1. फर्म का नाम एवं पता :—
2. फर्म का पेन (Pan) नम्बर :—
3. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयननं./प्रमाणपत्र हैतो :—
4. फर्म की ई—मेलआई.डी. यदिहैतो :—
5. फोन/मोबाईलनंम्बर :—
6. सफाईकार्य की दर राशि रूपये 95000/—एक वर्ष के लिये
   अकों में .... रू. प्रतिमाह, शब्दों में .... रू प्रतिमाह
7. फर्म का पंजीयन नम्बर :—
8. फर्म निविदा सूचना में अंकित बिन्दुओं सहित निविदा (अनुबंध) की सभी शर्तो को स्वीकार करती है।

दिनांक :—

हस्ताक्षर

(फर्म/ठेकेदार प्रतिनिधि)

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Soni
Designation : Deputy Director
Date: 2026.02.20 17:59:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20547781